

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना, जिला-सतना (म.प्र.)

क्रमांक-

/24

सतना, दिनांक : 19.09.2024

(संशोधित आदेश)

मैं, अनीता खजूरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला-सतना (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत माह-जुलाई, अगस्त व सितम्बर 2024 की अवकाश अवधि में अत्यावश्यक दायित्व कार्य सम्पादन हेतु आदेश दिनांक आदेश क्र.171/24 दिनांक 27.06.2024 के अनुसार ड्यूटी लगायी थी, श्रीमती मयूरी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सतना से प्राप्त पत्र के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्र. 982/24 के पालन में दिनांक 21.09.2024 को ऑनलाइन ट्रेनिंग होने के कारण रिमाण्ड तिथि में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :-

यह कि सुश्री मयूरी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सतना दिनांक 21.09.2024 के स्थान पर दिनांक 29.09.2024 की रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेगी तथा सुश्री सोनाली वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सतना दिनांक 29.09.2024 के स्थान पर दिनांक 21.09.2024 की रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेगी।

नोट:-शेष आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।



(अनीता खजूरिया)


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)

सतना, दिनांक :19.09.2024

पृष्ठांकन क्रमांक-343(2) /24

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जिला-सतना (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- पुलिस अधीक्षक सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- सिस्टम अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय सतना (म.प्र.) को आदेश की प्रति सभी उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं पुलिस अधीक्षक, सतना को ई-मेल के माध्यम से भेजने हेतु प्रेषित।



(अनीता खजूरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)